रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227177
CG-DL-E-25052021-227177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
No. 1886] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2026(अ).—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पैट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति करने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की है, जिसे तत्पश्चात् दिनांक 09.08.0218, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020 और 29.10.2020 की अधिसूचना सं. क्रमश: का.आ. 3952(अ), का.आ. 5219(अ), का.आ. 47(अ), का.आ. 4104(अ), का.आ. 1262(अ) और का.आ. 1523(अ) और का.आ. 3886(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

2. अब दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त अधिसूचना का पैरा 5 (ii) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से आवेदक को तीन वर्ष के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। ऐसे आवेदक जिन्होंने इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख के उपरांत परंतु दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना में निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर और जिन मामलों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धान्तिक अनुमोदन से पूर्व ऋण संवितरित कर दिया गया था, वे भी इस स्कीम के अधीन ब्याज छूट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किश्त के संवितरण की तारीख से दो वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।"

[फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-I]

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2026(E).—The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, specially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E) dated 19.07.2018 which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), S.O. 5219(E), S.O. 47 (E), S.O. 4104 (E), S.O.1262(E), S.O. 1523(E) and S.O. 3886(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019, 17.04.2020, 20.05.2020 and 29.10.2020 respectively.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.07.2018, Central Government has decided that Para 5(ii) of the notification may be read as under:-

"The applicant should get the loan disbursed from the bank within three years from the date of in principle approval of DFPD, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. The applicants which have submitted their applications to DFPD after the date of notification of the scheme but within the cut-off date prescribed in the notification dated 19.07.2018 and in case of whom, loans were disbursed to them prior to the in principle approval of DFPD, will also be eligible for interest subvention under the scheme. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank."

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.25 20:48:36 +05'30'